संख्या– 447 / VI(1) / 2012–10(01) / 2007

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 संधू,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 30 मार्च, 2012

विषयः–आई0एच0एम0 गढ़ीकैन्ट में गर्ल्स हॉस्टल एवं टाईप–II आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय, प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–403 / 2–6–567 / 2011–12, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 के सन्दर्भ में आई0एच0एम0 गढ़ीकैन्ट में गर्ल्स हॉस्टल एवं टाईप–II आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 365.23 लाख के प्रस्तुत आगणन पर टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गयी ₹ 360.06 लाख (₹ तीन करोड़ साठ लाख छः हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 200.00 लाख का व्यय करने के उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत आई0एच0एम0 गढ़ीकैन्ट में गर्ल्स हास्टल का निर्माण की मद में संलग्न बी0एम0–15 में उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से ₹ 100.00 लाख (₹ एक करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(I) विभाग यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में आगणन में कोई वृद्धि न होने पायें।

(II) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता / सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(III) फर्नीचर एवं फिक्चर्स हेतु प्रस्तुत आगणन ₹ 34.36 लाख के सापेक्ष उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्यवाही की संस्तुति की जा रही है। अतएव अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कार्यवाही करते हुए आगामी किश्त की मांग करते समय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उतनी ही धनराशि का प्रस्ताव (अभिलेखों सहित) किया जाय, जितनी कि अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत अपनाई गई प्रकिया के उपरान्त आवश्यक हो।

(IV) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(V) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(VI) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(VII) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2012 तक अवश्य कर लिया जाय।

(VIII) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(IX) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(X) एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।

(XI) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

(XII) कार्यदायी संस्था के निर्धारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–104–संवर्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–07–आई0एच0एम0 गढ़ीकैन्ट में गर्ल्स हास्टल का निर्माण–24–वृहद् निर्माण कार्य के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–25/XXVII(2)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2012 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 एस0एस0 संधू)
सचिव।

संख्याः– 447 /VI(1)/2012–10(01)/2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।